

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 3(1)साप्र/2/16

जयपुर, दिनांक : ८ | २ | २०१७

—: आदेश :—

डॉ० जयन्ति माला, वरिष्ठ प्रदर्शक पैथोलॉजी, विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 164/2016 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.3.2039 है, के आधार पर उनके निवास हेतु तृतीय श्रेणी राजकीय आवास संख्या ३०/१७, गौंधीनगर, जयपुर का राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत आउट ऑफ टर्न के आधार पर नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:—

शर्त :—

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से ८ दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से ८ दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से ६ माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। ६ माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्ताव करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नी व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्य नहीं किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. नियन्त्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, महाविद्यालय, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी आईडी संख्या ०१/मिनि./जीएडी/2017 दिनांक ६.२.२०१७ के क्रम में।
5. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
7. प्रोग्राम सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की धैव साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
8. अधिशासी अभियन्ता, सा०नि०वि०/जन स्वा० अभि० वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि०, गौंधीनगर, जयपुर।
9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौंधीनगर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लॉकबोर्ड पर चस्पा करावें।
10. डॉ० जयन्ति माला, वरिष्ठ पदर्शक पैथोलॉजी, विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव